No.

नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पुस्तिका

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री
राज.सरकार

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर
(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

श्री शांति धारीवाल
नगरीय विकास,स्वायत शासन
एवं आवासन मंत्री, राज. सरकार

कुल भूखण्ड 325 | **दर 6,950/- प्रति वर्ग मीटर**

आवेदन पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि — 01 फरवरी 2023

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि — 28 फरवरी 2023

500/-

नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पत्र के साथ

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक के माध्यम से रू. 500/- देकर प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि तथा रू. 2000/- प्रशासनिक शुल्क सहित जरिये डिमान्ड ड्राफ्ट/चैक सचिव नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से उक्त बैंक में जमा होंगे।

2. फार्म के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज

(अ) आधार कार्ड की प्रति

(ब) पेन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति (आयकर दाता होने पर)

(स) निवास के प्रमाण पत्र की स्व अनुप्रमाणित प्रति, स्वघोषणा पत्र

(द) जी.एस.टी./SHOP & COMMERCIAL Act./BRN में पंजीयन की प्रति

(य) Cancelled चैक

(र) बैंक ड्राफ्ट/चैक

ध्यान देने योग्य बातें.......

1 अनुमोदित आवासीय योजनाओं में ही भूखण्ड़ खरीदे।

2 नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करें।

3 नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें।

4 नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्ड़ों का हस्तान्तरण करें।

5 अवैध अनियमित योजनाओं में भूखण्ड नहीं खरीदें।

6 कोई भी भूखण्ड़ खरीदने से पूर्व बेचानकर्ता / विकासकर्ता / डीलर से न्यास द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान मांगें।

7 भूखण्ड खरीदने से पूर्व ले आउट प्लान अवश्य देखें, निर्धारित शुल्क पर भुगतान कर नगर विकास न्यास से लेआउट प्लान की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।

8 अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु न्यास की भूमि रूपान्तरण शाखा से सम्पर्क करें।

कृपया अपनी संस्कृति एवं पर्यावरण से प्रेम करें एवं इसकी रक्षा करें।

नगर विकास न्यास, कोटा
Ph. : 0744 2500539
kotauit@yahoo.com www.uitkota.org

नगर विकास न्यास, कोटा

कोटा शहर की जनसंख्या बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए निर्धारित क्षेत्र सीमित होने के कारण वहाँ पर भीड़–भाड़ अधिक होने के कारण लोडिंग–अनलोडिंग करने में कठिनाई तथा दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहने, कई बार नो–एन्ट्री के कारण ट्रकों, ट्रेलर आदि के आवागमन में कठिनाई तथा ट्रैफिक जाम लगने, पर्यावरण दूषित होने जैसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कोटा शहर में ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायियों को न्यास की शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना में कुछ समय पूर्व लॉटरी के माध्यम से निश्चित विक्रय दर पर भूखण्ड़ आवंटित किये गये थे। ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप से संबंधित व्यवसाय तथा ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसाय का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संबंध है। अतः यह आवश्यक समझा गया कि शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना के अंतर्गत ही ट्रांसपोर्ट नगर के समीप ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर हेतु भूखण्डों का नियोजन किया जाये। इस योजना के अंतर्गत भूखण्ड़ों का लॉटरी के माध्यम से निश्चित विक्रय दर पर भूखण्ड आवंटन के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। भूखण्डों का आवंटन केवल ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप से संबंधित व्यवसायियों को ही किया जायेगा। इस योजना में भूखण्डों की दर मात्र 6,950/– रूपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है तथा भुगतान हेतु 12 माह की समयावधि दी गई है। यह योजना

COMPLEMENTARY COPY

नेशनल हाईवे 52 के समीप एवं हेंगिग ब्रिज के समीप है। योजना के अन्दर 80, 60 एवं 40 फीट चौड़ाई की सड़के है। यह योजना शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में है, जिसमे स्टोन एक्सपोर्ट मार्केट, गोदाम, चिकित्सा सुविधाऐं, पार्क एवं संस्थागत भूखण्ड, आवासीय/व्यावसायिक योजना का प्रावधान है। यह योजना प्रस्तावित एयरपोर्ट योजना के समीप ही है।

इस आवेदन पुस्तिका में आवेदन की शर्ते, भूखण्डों की दर/साईज, पंजीयन राशि देय नगरीय कर आदि बिन्दुओं का उल्लेख कर दिया गया है। अतः योजना में आवेदन कर लाभ उठाये।

शुभकामनाओं सहित।

राजेश जोशी
आर.ए.एस.
सचिव, नगर विकास न्यास,
कोटा

ओम प्रकाश बुनकर
आई.ए.एस.
अध्यक्ष नगर विकास न्यास, एवं
जिला कलक्टर, कोटा

योजना की विशेषताएं :–

1. हैगिंग ब्रिज से 4 किमी0 की दूरी पर
2. योजना के समीप ट्रांसपोर्ट नगर, चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स के लिए आवासीय योजना, चिकित्सा सुविधाएं, आवासीय योजनाएं, पार्क आदि का प्रावधान
3. कोटा–चितौड़ रोड़ (नेशनल हाईवे–27) से लगभग 0.5 किलोमीटर की दूरी पर
4. कोटा–जयपुर रोड़ (नेशनल हाईवे–52) से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर

COMPLEMENTARY COPY

पात्रता :–

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. आवेदक स्वयं के नाम से अथवा फर्म के नाम से आवेदन कर सकता है।
3. कोटा शहर के विश्वकर्मा नगर, न्यू मोटर मार्केट, ट्रांसपोर्ट नगर में **ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप** हो।
4. आवेदन पत्र भरने की तिथि को आवेदक वयस्क होना चाहिए।
5. आवेदक के पास स्वयं/फर्म का जी0एस0टी0/Shop and Commercial Act /BRN में पंजीयन हो।
6. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटित स्थायी खाता संख्या (**PAN**) हो।
7. ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप से सम्बन्धित एसोसिएशन का सदस्यता प्रमाण पत्र।

ट्रक रिपयेर्स वर्कशॉप नगर (शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप व्यवसाईयों हेतु

भूखण्ड आवंटन की शर्तें

भूखण्डों का आवंटन विश्वकर्मा नगर, न्यू मोटर मार्केट, ट्रांसपोर्ट नगर केवल ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप, व्यवसाइयों को किया जायेगा तथा उपयोग भी ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप व्यवसाय के लिए किया जा सकेगा। आवंटन के लिए निश्चित दर 6950/– प्रति वर्गमीटर रहेगी । न्यास द्वारा भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्वति से किया जाये गा।

आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार पंजीयन राशि जमा कराई जावेगी। इस राशि को भूखण्ड की देय राशि/कीमत में समायोजित कर लिया जावेगा।

पंजीकरण राशि

क्र.स.	भूखण्ड की साईज (वर्गमीटर)	भूखण्डों की संख्या	भूखण्ड की अनुमानित कीमत (नॉन कॉर्नर)Rs.	पंजीयन राशि (Rs.)
1-	9 x 15 = 135	76	9,38,250/-	1,00,000/-
2-	6 x 12 = 72	119	5,00,400/-	60,000/-
3-	4.50 x 9 = 40.5	130	2,81,475/-	30,000/-
	योग	325		

1. भूखण्डों का आवंटन उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा। न्यास सभी वैध आवेदन पत्रों के आधार पर आवंटन की गारन्टी नहीं देता है, इस सम्बन्ध में न्यास का निर्णय सर्वमान्य होगा।
2. प्रार्थियों को आवेदन पत्र, पंजीयन राशि के चालान सहित निर्धारित तिथि तक जमा कराने होंगे। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. वैध आवेदन पत्रों की लाटरी आवंटन समिति के माध्यम से ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप एसोसियेशनों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में निकाली जावेगी।
4. आवंटी पर राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के समस्त प्रावधान तथा न्यास निर्णय समय–समय पर संशोधन के साथ लागू होंगे।

5. राज्य सरकार की शर्तें, परिपत्र तथा न्यास का निर्णय प्रत्येक आवंटी को मान्य होगा।

6. व्यवसायी को पुराने व्यवसाय को ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर (शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना) में शिफ्ट करना होगा।

7. भूखण्ड का आवंटन होने के पश्चात् आवंटी को न्यास से लीज डीड जारी करने जिसका समस्त व्यय आवंटी को वहन करना होगा।

8. भूखण्ड का हस्तान्तरण नगर विकास न्यास की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

9. आवंटी को भूखण्ड को विभाजित करने व अन्य भूखण्ड के साथ मिलाने का अधिकार न्यास की पूर्वानुमति के बिना नहीं होगा तथा भूखण्ड का उपयोग ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप व्यवसाय के लिए ही किया जावेगा।

10. भूखण्ड उन्ही व्यवसायियों को आवंटित किया जावेगा, जो विश्वकर्मा नगर, न्यू मोटर मार्केट, ट्रांसपोर्ट नगर में **ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप**, व्यवसाय करते हो।

11. साईज के अनुसार भूखण्डों का आवंटन करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या यदि उस साईज के लिए निर्धारित भूखण्डों के बराबर है तो उनको लॉटरी के द्वारा भूखण्ड आवंटन कर दिये जावेंगे। किसी साईज के उपलब्ध भूखण्डों की संख्या से आवेदकों की संख्या अधिक होने पर शेष बचे असफल आवेदक उपलब्ध भूखण्डों में से लॉटरी के लिए पात्र होगें, किन्तु पंजीयन जमा राशि वहीं काम आ सकेगी एवं इसका समायोजन भूखण्ड आवंटन के पश्चात् शेष राशि में कर लिया जावेगा। अन्तिम रूप से भूखण्डों का आवंटन उपलब्धता के अनुसार किया जावेगा।

12. भूखण्ड आवंटन से पूर्व उपरोक्त अंकित भूखण्डों में परिवर्तन किया जा सकता है।

COMPLEMENTARY COPY

13. भूखण्डों का आवंटन लॉटरी द्वारा न्यास की ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना में किया जावेगा।
14. भूखण्ड हेतु पात्रता तथा साईज का अन्तिम निर्धारण आवेदक के व्यवसाय व वर्तमान स्थान तथा भूखण्ड़ों की उपलब्धता के आधार पर नगर विकास न्यास द्वारा जांच के अनुसार किया जा सकेगा।
15. आवेदन पत्र निर्धारित बैंक में अन्तिम तिथि तक जमा करवाये जा सकेंगे।
16. लॉटरी के बाद ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर योजना में शेष बचे भूखण्ड उपलब्ध होने की स्थिति में नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जा सकेंगें।
17. भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में राजस्थान नगर विकास न्यास अधिनियम 1959 राजस्थान नगर सुधार न्यास नगरीय भूमि निस्तारण (नियम 1974) के समस्त प्रावधान इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी नियम/संशोधन के साथ लागू होंगे।
18. भूखण्डों का आवंटन के पश्चात् आवंटित भूखण्ड को **'ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप'** व्यवसाय हेतु काम में लिया जावेगा। इसके अभाव में भूखण्ड का आवंटन निरस्त होने के लिए आवंटी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
19. भूखण्डों पर निर्माण न्यास द्वारा स्वीकृत मानचित्र/टाइप डिजाइन के अनुसार ही किया जावेगा।
20. आवेदन कर्ता को निर्धारित प्रारूप में स्व घोषणा पत्र देना होगा।
21. एक व्यक्ति/फर्म एक ही भूखण्ड के लिए आवेदन का पात्र होगा। यदि एक से अधिक आवेदन किये है तो समस्त आवेदन निरस्त योग्य होंगे।
22. फर्म का व्यवसाय **ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप** से संबंधित है किन्तु ज्वलनशील और खतरनाक रसायन का स्टॉक, जिसके कारण अप्रत्याशित दुर्घटना होने पर आसपास के **ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप** व्यवसाइयों को नुकसान की संभावना हो तो आवेदन हेतु पात्र नहीं होगा।

23. यदि किसी आवेदक के द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यास को धोखे में रखते हुए भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया है अथवा आवंटन करवा लिया है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तों का पालन नहीं किया है तो ऐसे आवेदकों को जमा राशि जब्त करते हुए भूखण्ड आवंटन निरस्त होने के लिए आवंटी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

24. आवेदको के द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्र में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवंटन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित कर लेवें।

COMPLEMENTARY COPY

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-

1. पंजीयन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट **'सचिव नगर विकास न्यास, कोटा'** के पदनाम से देय हो
2. स्व–घोषणा पत्र
3. आधार कार्ड की प्रति
4. जी0एस0टी0 / Shop and Commercial Act / BRN में पंजीयन की प्रति
5. निवास प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, टेलिफोन / बिजली / पानी का बिल की प्रति
6. Cancelled Cheque CTS 2010/ पासबुक की प्रति।
7. ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप से सम्बन्धित एसोसिएशन द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र की प्रति।

भूखण्डों की संख्या, साईज, अनुमानित कीमत आदि का विवरण

क्र.सं.	भूखण्ड की साईज (मीटर में)	भूखण्ड की साईज (फीट में)	कुल भूखण्ड	आरक्षित दर (प्रति वर्गमी0)	दर (प्रति वर्गमी0)	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर भूखण्ड)
1.	***9 X 15 = 135*** (व.मी.)	30 X 50	**76**	3800/-	6950/-	9,38,250/-
		पंजीयन राशि			1,00,000/–	
		आवंटन पत्र जारी होने से 3 माह			2,35,000/–	
		आवंटन पत्र जारी होने से 6 माह में			2,35,000/–	
		आवंटन पत्र जारी होने से 9 माह में			2,35,000/–	
		आवंटन पत्र जारी होने से 12 माह में			1,33,250/–	1,33,450/–
		+ साईट प्लान फीस			200/–	
2.	***6 X 12 = 72*** (व.मी.)	20 X 40	119	3800/-	6950/-	5,00,400/-
		पंजीयन राशि			60,000/–	
		आवंटन पत्र जारी होने से 3 माह			1,25,100/–	
		आवंटन पत्र जारी होने से 6 माह में			1,25,100/–	
		आवंटन पत्र जारी होने से 9 माह में			1,25,100/–	
		आवंटन पत्र जारी होने से 12 माह में			65,100/–	65,300/–
		+ साईट प्लान फीस			200/–	
3.	***4.50 X 9 = 40.5*** (व.मी.)	15 X 30	**130**	3800/-	6950/-	2,81,475/-
		पंजीयन राशि			30,000/–	
		आवंटन पत्र जारी होने से 3 माह			70,500/–	
		आवंटन पत्र जारी होने से 6 माह में			70,500/–	
		आवंटन पत्र जारी होने से 9 माह में			70,500/–	
		आवंटन पत्र जारी होने से 12 माह में			39,975/–	40,175/–
		+ साईट प्लान फीस			200/–	

नोट :-

A- योजना में न्यास के द्वारा ***325*** भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित किये है। यह संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई–बढ़ाई जा सकती है।

B- योजना में कॉर्नर भूखण्ड होने की स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज देय होगा।

C- भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल अधिक या कम होने पर तदनुसार राशि देय होगी।

मांगी गई राशि की पद्धति :-

आवेदन पत्र के साथ पंजीयन राशि	**कीमत का 10 प्रतिशत**
प्रथम किश्त (आवंटन के 3 माह में)	**कीमत का 25 प्रतिशत**
द्वितीय किश्त (आवंटन के 6 माह में)	**कीमत का 25 प्रतिशत**
तृतीय किश्त (आवंटन के 9 माह में)	**कीमत का 25 प्रतिशत**
चतुर्थ किश्त (आवंटन के 12 माह में)	**कीमत का 15 प्रतिशत**

नोट :-

(1) **देय राशि उपरोक्तानुसार जमा करवाना होगा तथा 12 माह + 90 दिवस तक 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करवाई जा सकती है।** ब्याज की गणना किश्त देय होने की अन्तिम तिथि के अगले दिवस से की जाएगी। इसके पश्चात् आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा जमाशुदा/पंजीयन/अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी।

(2) सम्पूर्ण देय राशि 45 दिवस में एकमुश्त जमा कराने पर कीमत की 5% छूट दी जायेगी।

(3) साईट प्लान के रू. 200/– देय अन्तिम किश्त के साथ देय है तथा यदि सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करवाई जाती है तो उसके साथ जमा करवाने होंगे।

(4) उपरोक्तानुसार भुगतान नहीं करने पर आवंटन स्वतः निरस्त है तथा जमा पंजीयन राशि जब्त कर ली जायेगी।

असफल आवेदकों की पंजीयन राशि की वापसीः–

1. नगर विकास न्यास को दी गई पंजीकरण राशि आवेदक पुस्तिका में उल्लेखित आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण राशि डी.डी./RTGS/ चैक से जमा करवाना होगा।
2. असफल आवेदको की जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण चैक पर चिन्हित होंगे। इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण आवेदन पत्र में भरने होंगे।
3. आवेदक अपने खाते का Cancelled Cheque CTS 2010/ पासबुक की प्रति संलग्न करें।

भूखण्डों की लीज डीड (रजिस्ट्री)

आवंटी द्वारा भूखण्ड की संपूर्ण बकाया राशि जमा करवा कर पट्टा विलेख प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा, तद्परान्त लीज राशि जमा करवाने पर न्यास द्वारा पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किया जावेगा। इस पट्टा विलेख का पंजीयन,पंजीयक मुद्रांक कार्यालय, में आंवटी द्वारा कराया जावेगा। पट्टा विलेख का समस्त व्यय आंवटी द्वारा वहन किया जावेगा। सफल आवेदकों द्वारा भूखण्ड पर ऋण चाहने पर एन.ओ.सी, हेतु आवेदन पत्र मय बैंक का पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर न्यास द्वारा अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) जारी किया जा सकेगा। समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

आवास/भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज)

1. आवंटी को भूखण्ड पर कब्जा प्राप्ति के पश्चात् नियमानुसार देय नगरीय कर (लीज मनी) की राशि आरक्षित दर रूपए 3800/– प्रतिवर्ग मीटर से 5 प्रतिशत प्रति वर्ष अग्रिम जमा करवानी होगी। नगरीय कर की राशि प्रथम 5 वर्षो में आधी दर अर्थात् 2.5% प्रतिवर्ष देय है। प्रत्येक 15 वर्ष पश्चात् नगरीय कर में 25 प्रतिशत वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी।
2. आठ (8) वर्ष का नगरीय कर पूर्ण दर से एक मुश्त जमा करवाने पर भविष्य में नगरीय कर में छूट प्रदान की जावेगी।

–: भूखण्ड पर निर्माण कार्य :–

COMPLEMENTARY COPY

आवंटित भूखण्डों पर निर्धारित अवधि 7 वर्ष में निर्माण करके व्यवसाय प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए जमा राशि जब्त कर ली जावेगी तथा आवंटी को भविष्य में ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप या अन्य किसी व्यवसाय के लिए भूखण्ड नही दिया जायेगा। भूखण्ड पर निर्माण के लिए न्यास से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रस्तावित निर्माण न्यास द्वारा जारी साईट प्लान के अनुसार करना होगा।

भूखण्ड का कब्जा:–

सम्पूर्ण राशि जमा होने के उपरान्त लीज डीड/पट्टा विलेख प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। मौके पर अतिरिक्त भूमि होने पर आवंटी को नियमानुसार अतिरिक्त राशि तुरन्त जमा करानी होगी। तत्पश्चात् न्यास द्वारा लीज डीड/पट्टा विलेख जारी करते समय नगरीय कर की राशि न्यास में जमा करवाते हुए उसका स्वयं के व्यय पर पंजीयन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में करवाना होगा। पंजीकृत लीज डीड/पट्टा विलेख की प्रति न्यास में प्रस्तुत कर कब्जा पत्र प्राप्त करना होगा। 12 माह के अन्दर लीज डीड पंजीयन प्रपत्र प्रस्तुत नही करने पर न्यास द्वारा रु. 2000/– प्रति माह तक भूखण्ड की साईज के अनुसार शास्ति (पेनल्टी) लगाई जावेगी। भौतिक कब्जा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिया जावेगा।

भूखण्ड का हस्तान्तरण

भूखण्डों के आवंटन में भूखण्डों की रियायती दर ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप व्यवसायियों को इस योजना में शिफ्ट करने के लिए हैं। अतः उक्त भूखण्डों का उपयोग ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप से संबंधित व्यवसाय के लिए ही किया जा सकता है। भूखण्ड का उपयोग ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप के लिए नहीं पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर भवन/भूखण्ड न्यास द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जावेगा तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।

अन्य :-

1. भूखण्डों का पुनर्गठन/उपविभाजन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।
2. राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा समय समय पर जारी किए नियम/संशोधन आवंटी पर लागू होंगे।
3. समस्त पत्राचार एवं ड्राफ्ट **'सचिव नगर विकास न्यास, कोटा'** के नाम से होगा।
4. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा शहर होगा।
5. आवंटी पर राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के समस्त प्रावधान तथा न्यास निर्णय समय समय पर संशोधन के साथ लागू होगें ।
6. भूखण्डों का माप/संख्या में कम/ज्यादा की जा सकती है। विषम परिस्थितियों में आंवटित भूखण्डों का कब्जा नही दिए जाने की स्थिति मे आवेदक द्वारा जमा राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी तथा मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड़ों का क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है जो कि आवंटी को स्वीकार करना होगा।

7. यदि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यास को धोखे मे रखते हुए भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया जाता है अथवा आवंटन करा लिया है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तो का पालन नहीं किया तो ऐसे आवेदको की जमा राशि व भूखण्ड को जब्त कर लिया जावेगा तथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

8. भूखण्ड अथवा उस पर किये गये निर्माण पर सक्षम अधिकारी द्वारा लागू किये समस्त कर शुल्क आदि की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

9. भूखण्ड आवंटन प्रक्रिया संबंधी किसी भी बिन्दु पर विवाद होने पर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।

10. कॉर्नर भूखण्ड होने की स्थिति में 10% अतिरिक्त चार्ज देय होगा। आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

11. भूखण्ड का क्षेत्रफल बढ़ने पर नियमानुसार आवंटी को अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी तथा क्षेत्रफल कम होने पर वास्तविक माप की राशि ही आंवटी से ली जावेगी।

12. लॉटरी के संबंध में कोई भी जानकारी/सूचना मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त की जा सकती है।

13. आवेदन पत्र के साथ जमा कराई पंजीयन राशि बिना ब्याज के भूखण्ड की राशि में समायोजित कर ली जावेगी। शेष भुगतान योग्य राशि स्थानीय चैक/डी.डी./पे ऑर्डर द्वारा न्यास में जमा करवाई जा सकेगी अथवा आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक में निर्धारित अवधि में जमा करवाते हुए न्यास को सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा कराने का दायित्व आवंटी का होगा। इसके अभाव में आवंटित भूखण्ड स्वतः निरस्त है।

COMPLIMENTARY COPY

स्व घोषणा पत्र

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर (शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप व्यवसाय हेतु भूखण्ड आवंटन के लिए

स्व प्रमाणित फोटो

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....

आयु................निवासी ....

....उम्र....................

फर्म का नाम : ....

पता : ....

मैं युक्त फर्म में...की हैसियत से

घोषणा करता/करती हूँ, कि :–

(1)यह कि मैने आवेदन पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा मेरे द्वारा आवेदन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जावेगी।

(2) यह कि मैं लॉटरी में आवंटन के पश्चात् उसका ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप व्यवसाय हेतु उपयोग करूंगा । इसका उल्लंघन करने पर मेरा आवंटन निरस्त करने एवं उस पर जमा राशि जब्त करने का अधिकार नगर विकास न्यास कोटा का होगा।

(3) ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप कार्य सम्बन्धी व्यवसाय है जिसका पता .... विश्वकर्मा नगर, न्यू मोटर मार्केट, ट्रांसपोर्ट नगर कोटा है।

(4) विश्वकर्मा नगर, न्यू मोटर मार्केट, ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप सम्बन्धी व्यवसाय कर रहा हूँ। सम्बन्धित एसोसिएशन द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। सदस्यता संख्या...................... है।

COMPLEMENTARY COPY

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

..................................उम्र............................शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ, कि कॉलम संख्या 1 से 3 तक मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास से सही है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये भूखण्ड का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

क्रमांक

नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि :– ***28-02-2023***

नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर

(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

आवेदन पत्र

1. आवेदक/फर्म का नाम : ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम : ....
3. व्यवसाय से संबंधित (विस्तृत विवरण) :

(A) फर्म का नाम : ....

(B) वर्तमान में किये जो रहे व्यवसाय का विवरण : ....

....

(C) वर्तमान व्यवसाय स्थल का क्षेत्रफल व स्थान का नाम : ....

(D) वर्तमान व्यवसाय स्थल/भवन किराये पर या स्वयं का है ? : ....

(E) बैंक का नाम.......... खाता संख्या : .... IFSC Code..........

मोबाईल नं0/टेलिफोन नं..........

COMPLEMENTARY COPY

4. भूखण्ड की साईज (आवेदित भूखण्ड की साईज) के लिए सही (✓) का चिन्ह् अंकित करें।

1- 9 X 15 = 135 वर्ग मीटर ☐

2- 6 X 12 = 72 वर्ग मीटर ☐

3- 4.50 X 9 = 40.5 वर्ग मीटर ☐

5. पंजीयन राशि व प्रशासनिक शुल्क का विवरण :–

1. चालान नम्बर .... 2. दिनांक..........

3. राशि रू. .... 4. बैंक का नाम..........

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र कृपया सहीं (✓) का चिन्ह अंकित करें।

D.D./ चैक ☐ Cancelled Cheque CTS 2010/ पासबुक की प्रति ☐ आधार कार्ड ☐ निवास प्रमाण पत्र ☐

स्व घोषणा पत्र ☐ GST /Shop Act/BRN ☐ ट्रक रिपेयर्स एसोसिएशन सदस्यता प्रमाण पत्र ☐

नोट :– 1. मैने आवेदन पुस्तिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है मुझे वर्णित शर्ते स्वीकार है।

2. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड/आवास का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

3. समय–समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मंडल में लिये गये निर्णयों/नियमों को मानने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

4. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाएं सही व प्रमाणित है।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक/संयुक्त के हस्ताक्षर मय सील

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद :

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये

क्रमांक

नाम व पता

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर (शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

....
....
....

आवेदन क्रमांक ....

चालान राशि ....

बैंक व शाखा का नाम ICICI Bank..........

डी.डी. संख्या ....

जमा करने की तिथि ....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

ICICI Bank A/C 018401008890
IFSC Code - ICIC0000184

नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

फर्म का नाम...

पता...

....

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर

(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
9 X 15 = 135 वर्ग मीटर	1,00,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी./चैक नं. .... दिनांक.......................	
योग :–	1,02,000/-

अक्षरे रूपये, एक लाख दो हजार रूपए मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI Bank A/C 018401008890
IFSC Code - ICIC0000184

नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

फर्म का नाम...

पता...

....

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर

(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
9 X 15 = 135 वर्ग मीटर	1,00,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी./चैक नं. .... दिनांक.......................	
योग :–	1,02,000/-

अक्षरे रूपये, एक लाख दो हजार रूपए मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI Bank A/C 018401008890
IFSC Code - ICIC0000184

नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

फर्म का नाम...

पता...

....

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर

(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
9 X 15 = 135 वर्ग मीटर	1,00,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी./चैक नं. .... दिनांक.......................	
योग :–	1,02,000/-

अक्षरे रूपये, एक लाख दो हजार रूपए मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI Bank A/C 018401008890
IFSC Code - ICIC0000184

नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

फर्म का नाम...

पता...

....

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर

(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
9 X 15 = 135 वर्ग मीटर	1,00,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी./चैक नं. .... दिनांक.......................	
योग :–	1,02,000/-

अक्षरे रूपये, एक लाख दो हजार रूपए मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

COMPLEMENTARY COPY

ICICI Bank A/C 018401008890
IFSC Code - ICIC0000184

नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

फर्म का नाम.......................................

पता.......................................

....

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर

(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
6 X 12 = 72 वर्ग मीटर	60,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी./चैक नं. .... दिनांक........................	
योग :–	62,000/-

अक्षरे रूपये, बासठ हजार रूपए मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI Bank A/C 018401008890
IFSC Code - ICIC0000184

नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

फर्म का नाम.......................................

पता.......................................

....

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर

(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
6 X 12 = 72 वर्ग मीटर	60,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी./चैक नं. .... दिनांक........................	
योग :–	62,000/-

अक्षरे रूपये, बासठ हजार रूपए मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

Complimantry Copy

ICICI Bank A/C 018401008890
IFSC Code - ICIC0000184

नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

फर्म का नाम.......................................

पता.......................................

....

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर

(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
6 X 12 = 72 वर्ग मीटर	60,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी./चैक नं. .... दिनांक........................	
योग :–	62,000/-

अक्षरे रूपये, बासठ हजार रूपए मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI Bank A/C 018401008890
IFSC Code - ICIC0000184

नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

फर्म का नाम.......................................

पता.......................................

....

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर

(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
6 X 12 = 72 वर्ग मीटर	60,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी./चैक नं. .... दिनांक........................	
योग :–	62,000/-

अक्षरे रूपये, बासठ हजार रूपए मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI Bank A/C 018401008890
IFSC Code - ICIC0000184

नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

फर्म का नाम..

पता..
....

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर
(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि 4.50 X 9 = 40.5 वर्ग मीटर	30,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी. / चैक नं. .... दिनांक........................	
योग :–	32,000/-

अक्षरे रूपये, बत्तीस हजार रूपए मात्र

आवेदक / संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI Bank A/C 018401008890
IFSC Code - ICIC0000184

नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

फर्म का नाम..

पता..
....

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर
(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि 4.50 X 9 = 40.5 वर्ग मीटर	30,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी. / चैक नं. .... दिनांक........................	
योग :–	32,000/-

अक्षरे रूपये, बत्तीस हजार रूपए मात्र

आवेदक / संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI Bank A/C 018401008890
IFSC Code - ICIC0000184

नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

फर्म का नाम..

पता..
....

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर
(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि 4.50 X 9 = 40.5 वर्ग मीटर	30,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी. / चैक नं. .... दिनांक........................	
योग :–	32,000/-

अक्षरे रूपये, बत्तीस हजार रूपए मात्र

आवेदक / संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI Bank A/C 018401008890
IFSC Code - ICIC0000184

नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

फर्म का नाम..

पता..
....

ट्रक रिपेयर्स वर्कशॉप नगर
(शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना)

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि 4.50 X 9 = 40.5 वर्ग मीटर	30,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी. / चैक नं. .... दिनांक........................	
योग :–	32,000/-

अक्षरे रूपये, बत्तीस हजार रूपए मात्र

आवेदक / संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

Complimentry Copy

नगर विकास न्यास कोटा से भूखण्ड क्रय हेतु ई-ऑक्शन की प्रक्रिया।

URBAN IMPROVEMENT TRUST, KOTA

TERMS AND CONDITION OF AUCTION

(कोविड-19 के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में नीलामी में भूखण्ड क्रय करने पर विशेष शिथिलताओं सहित)

1. Earnest money : Every bidder shall be required before being permitted to bid in auction to deposit an earnest money (in short EMD) @ 2% of the bid start price of the plot which shall be refunded to him at the close of the bid or adjusted against premium, in case of successful bidder.
2. The highest bidder shall be required to deposit 15% amount of his bid within three working days from the date of auction. In case of failure to deposit the said amount within prescribed time limit, the EMD deposited by the bidder shall be forfeited and auction of land shall automatically stand cancelled.
3. After acceptance of the Bid the successful bidder shall deposit 35% of the Bid amount within 120 days from the date of Auction. If bidder fails to deposit 35% amount within 120 days, after expiry of above period bidder may deposit due amount in next 60 days or within extended time period as per provisions along interest at the rate of 9% on remaining amount from the date of auction.
4. Successful bidder shall deposit remaining 50% of the Bid amount within 180 days from the date of Auction. If bidder fails to deposit 50% amount within 180 days, after expiry of above period bidder may deposit due amount in next 90 days along interest at the rate of 9% on remaining amount from the date of auction.
5. If the successful bidder deposit the full amount within 15 days from the date of demand note, he will get 1% rebate of the bid amount.
6. In case of failure to deposit the amount within the extended time period, the 15% amount initially deposited shall be forfeited and auction of the land shall automatically stand cancelled.
7. The bidder will have to submit the copy of PAN card.
8. Bid shall be acceptable in multiples of Rs. 10/- Per Sq. Ft in case of Residential Plot, Rs. 50/- Per Sq. Ft in case of Commercial Plot and Rs. 1000/- Per House/Constructed Shop.
9. Property is being sold on "as is where is" basis.
10. Area of plot can be increased or decreased as per actual site conditions. In case of excess area, extra amount will have to deposit and in case of short area, amount will be refunded.
11. The bidders are expected to kindly visit the site of proposed plot before participation in the bid process.
12. UIT, Kota reserves the right to accept or reject the highest bid, which shall be final and binding.
13. Terms & Conditions of UIT, Kota shall apply.
14. As per Income Tax proviso 194-IA a Transferee (Purchaser) is responsible to deposit 1%TDS of immovable property which cost is 50 lakhs or more than 50 lakhs.

नगर विकास न्यास कोटा से ई– ऑक्शन की प्रक्रिया के तहत भूखण्ड़ की नीलामी में भाग लेने की प्रक्रियाः–

1. ई ऑक्शन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सर्वप्रथम बिडर को https://sso.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा यूजर आ ई–ड़ी तथा पासवर्ड़ से लॉगिन करना होगा तथा Application tab पर क्लिक करके, URBAN SERVICES पर क्लिक करके, Citizen Servives में E Auction की Services को Subscribe करना होगा।
2. तत्पश्चात My Profile tab में add new profile पर क्लिक करके, यदि आप व्यक्तिगत रूप से नीलामी में भाग लेना चाहते है तो Individual Profile पर क्लिक करना होगा अन्यथा यदि आप किसी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना चाहते है तो Non Individual पर क्लिक करना होगा। Profile Create करना तथा approved होना, न्यास की E-Auction में भागीदारी के लिए आवश्यक हे।
3. Refund Account tab में refund के लिए bank account add करना आवश्यक है।
4. E Auction tab में upcoming/running auction में View Details पर क्लिक करके Plot की सम्पूर्ण डिटेल देखी जा सकती है तथा Participate button पर क्लिक करके Participation Fee तथा EMD का पेमेन्ट करके बिड़र ई ऑक्शन में भाग ले सकेगा।

Note:- ई ऑक्शन की प्रक्रिया में प्रोफाइल अप्रूवल तथा रिफंड़ अकाउंट अप्रूवल में सामान्यतः 2 से 3 कार्य दिवस का समय लगता है। अतः समय रहते हुए यह कार्य कर लेवे, अंतिम तिथि का इंतजार न करें।

आवेदन पत्र हेतु विशेष सूचना

1. इस पुस्तिका में वर्णित योजना में किसी भी साईज / क्षेत्रफल के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन फार्म एक ही है किन्तु प्रत्येक साईज/ क्षेत्रफल के लिए चालान फार्म पृथक-पृथक है ।
2. आवेदन फार्म आई.सी.आई. बैंक की कोटा स्थित किसी भी शाखा से 500/- जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा भरे हुए आवेदन पत्र भी जमा किये जा सकते है।

ICICI Bank

आईसीआई बैंक की कोटा में स्थित समस्त शाखाएं